न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/490**
दायरा तिथि : 09.12.2024
आदेश तिथि : 16-03-2026

प्रार्थी :–

प्रभुराम पुत्र रेणाराम जाति गरासिया निवासी कुण्डाल तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
2. रामाराम पुत्र नाथाजी जाति गरासिया निवासी आमली तहसील पिंडवाडा हाल निवासी कुण्डाल तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांकः 16-03-2026

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.65 हैक्टर व खसरा नंबर 56 रकबा 0.34 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 597/59 रकबा 16.7175 हैक्टर, खसरा नंबर 53 रकबा 0.34 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/904 दिनांक 21.04.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता ही मौके पर वर्तमान मे चलयमान है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है।(ख. न. 595/130 व ख. न. 597/59 का उत्तरी भाग पहाडी भूमि होने के कारण)
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	सेणा बाहरी	595/130	53.95	गै.मु. मगरा	490X05=2450 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	सेणा बाहरी	53	0.34	बारानी दोयम	20X05=100 वर्गमीटर	रामाराम पुत्र नाथाजी गरासिया
3	सेणा बाहरी	52	0.22	बारानी दोयम	40X05=200 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
4	सेणा बाहरी	597/59	16.7175	गै.मु. मगरा	56X05=280 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,40,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते की चौडाई 5 मीटर से 30 फीट किये जाने का स्वीकार किया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/490
अनवान प्रभुराम बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.65 हैक्टर व खसरा नंबर 56 रकबा 0.34 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.65 हैक्टर व खसरा नंबर 56 रकबा 0.34 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 595/130 रकबा 53.95 हैक्टर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नंबर 597/59 रकबा 16.7175 हैक्टर एवं अप्रार्थी की भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 53 रकबा 0.34 हैक्टर में से **4410+180+360+504=5454 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तंर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,40,,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
595/130	53.95	490X09=4410 वर्गमीटर	14	61740X2=123480	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
53	0.34	20X09=180 वर्गमीटर	14	2520X2=5040	रामाराम पुत्र नाथाजी गरासिया
52	0.22	40X09=360 वर्गमीटर	14	5040X2=10080	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
597/59	16.7175	56X09=504 वर्गमीटर	14	7056X2=14112	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 152712/– (अक्षरे एक लाख बावन हजार सात सौ बारह मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/446–450
दिनांक : 19-03-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रभुराम पुत्र रेणाराम जाति गरासिया निवासी कुण्डाल तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

तहसील : बाली

ग्राम : सेणा(बाहरीक्षेत्र)

दिनांक : 17/04/2025 06:31:23 AM

भू. अ. नि. क्षेत्र : बिसलपुर

जिला : पाली

हल्का : सेणा

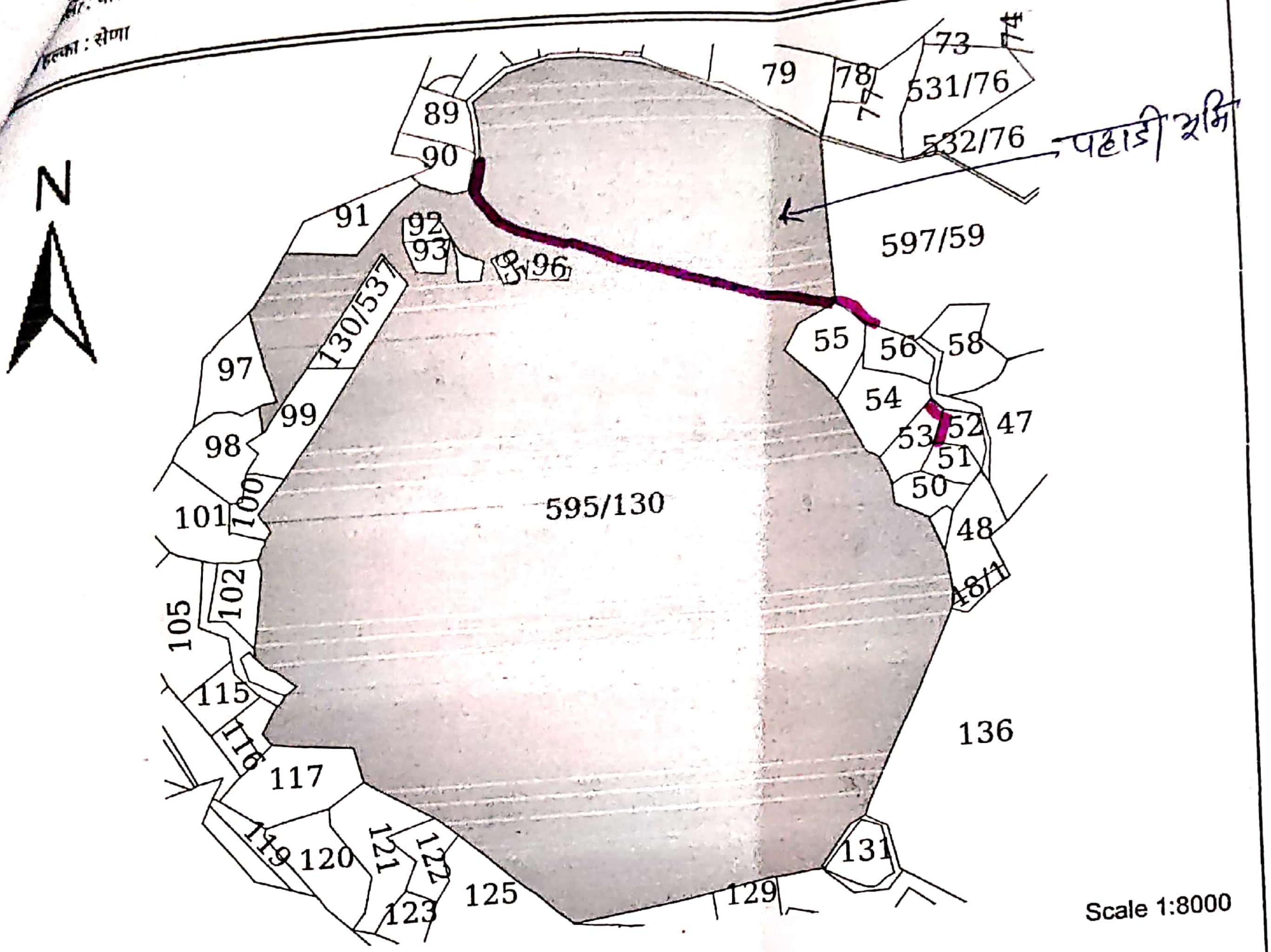

खसरा संख्या :595/130 क्षेत्रफल : 53.9500 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

राज. सरकार

करणसिंह

भू. अ. निरीक्षक ....

तहसील-बाली,जिला-पाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार,बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Ex-Court

Scanned with OKEN Scanner